न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2014

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भूराराम पुत्र कपूराजी 2. उकाराम पुत्र सोनाजी जाति मीणा निवासी लालपोल बडावास, जालोर		1. श्री देववंशी मालवीय लोहार संस्थान जरिये अध्यक्ष श्री नेनाराम लोहार पुत्र लच्छाराम जाति लोहार निवासी मानपुरा कॉलोनी, जालोर 2. जिला कलक्टर, जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :
श्री भंवरलाल सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री भवानीसिंह सान्दू, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 4/10/18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12(3)(57)राज./श्म/11/1988 दिनांक 28.02.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम जालोर ए के खसरा नम्बर 1971 रकबा 0.10 हैक्टेयर की भूमि आई हुई स्थित है, जिसके समीप खसरा नम्बर 1969 व 1970 की भूमि है। उक्त भूमि में मीणा समाज का श्मशान स्थित है, जिसे वे पीढीयों से श्मशान के रूप में उपयोग में ले रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 1971 में से 0.05 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या मालवीय लोहार समाज जालोर को श्मशान हेतु आरक्षित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 1969, 1970 व 1971 एक ही चक में मिले हुए है, जिसे मीणा समाज के श्मशान हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। खसरा नम्बर 1969 व 1970 रकबा 0.85 हैक्टेयर की भूमि गै0मु0 श्मशान के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1971 की भूमि इसी से जुडती हुई है, जो अपीलाण्ट के श्मशान के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट तलब की गई, उसमें तहसीलदार ने भूमि मौके पर खाली बताई है, जबकि मौके पर मीणा समाज के श्मशान है, जिसे मौका रिपोर्ट में रेखांकित नहीं किया है। आज भी मौके पर मीणा समाज का कब्जा है तथा चारदीवारी बनी हुई है। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधिक दृष्टि से अपीलाण्ट के हकों के विरूद्ध शून्य प्रभावी है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए बाद जांच जैर अपील विवादित आराजी को मालवीय लोहार समाज के श्मशान हेतु आरक्षित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्मशान हेतु भूमि आवंटन कराने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से करवाई गई। तहसीलदार जालोर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जैर अपील विवादिज आराजी को मौके पर खाली होना बताया तथा उपखण्ड अधिकारी ने उक्त भूमि मौके पर श्मशान के रूप में उपयोग में लिया जाना बताते हुए आवंटन कराने की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव जिला कलक्टर जालोर को अग्रेसित किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्य 2 ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12(3)(57)राज./श्म/11/1988 दिनांक 28.02.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर